

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/वो01/2022/ दिनांक:- 05.2022

## कार्यालय आदेश




राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारी का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्र.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	विजेन्द्र सुरोलिया प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कांकरिया, झुंझुनू	मार्च-2022 से लगातार	राउमावि बीकमपुरा, बीकानेर
2	कृपा शंकर मीना प्रधानाचार्य राउमावि राणोली, सिकराय, दोसा	दिसम्बर 2019 से दिनांक 24.02.2020	राउमावि गोपालपुरा, धरियावद, प्रतापगढ़

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4 /25577 /2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे। क्र.सं 1 पर अंकित अधिकारी का कॉलम संख्या 03 पर अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 4 में अंकित विद्यालय से आगामी ओदश तक/वेतन आहरित किये जाने वाले विद्यालय में प्रधानाचार्य-उमावि के कार्यग्रहण पर(जो भी पहले हो) आहरित किये जावे।


सत्यमेव जयते

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/वो01/2022/94 दिनांक:- 23.05.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 7 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/वो01/2022/ दिनांक:- 05.2022

## कार्यालय आदेश



राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारी का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

I	II	III	IV
1	श्रीमती सोनू शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि, बिहारीपुरा, जालसू, जयपुर	माह फरवरी 2022 से अप्रैल 2022	राउमावि, सेड़ी शिला, नागौर

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4 /25577 /2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/वो01/2022/368 दिनांक:- 23.05.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थः।
- 7 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)